<u>न्यायालयः- अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-06, अलवर</u>

पीठासीन अधिकारी :- सीताराम मीना, RJS (डी.जे.कैडर)

विविध दाण्डिक जमानत आवेदन संख्या :- 01/04/2026

सी.आई.एस. नम्बर :- 715/2026

जितेंद्र पुत्र श्री बचन सिंह निवासी तेहडपुर, थाना विजय मंदिर, जिला अलवर, राजस्थान

-- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक

-अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **483 B.N.S.S.**

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 108/2026 पुलिस थाना विजय मंदिर, अलवर

अपराध अंतर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम

उपस्थितिः-

01. श्री सत्यनारायण शर्मा, प्रार्थी अभियुक्त की ओर से
02. श्री राधेश्याम शर्मा, अपर लोक अभियोजक - राज्य की ओर से

-: <u>आदेशः</u>-

दिनांकः- 08-06-2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 B.N.S.S.** श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायालय अलवर में दिनांक 02-06-2026 को प्रस्तुत किया गया, जो विधिवत निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। जमानत आवेदन पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गयी। केस डायरी पेश हुई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

02. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि श्री निहाल सिंह एएसआई पुलिस थाना विजय मंदिर, अलवर ने दिनांक 30.05.2026 को एक टाईपशुदा तहरीर रिपोर्ट इस आश्य कि पेश की दिनांक 30.05.2026 को वह मय कानि० छोटेलाल नं. 590 व राजकुमार कानि० 2398 मय 112 बुलेरो मय चालक चैनूराम मय अनुसंधान बाक्स के वास्ते गस्त व लोकल स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु थाने से समय 07.17 एएम पर रवाना होकर गशत करता हुआ समय 07.40 ए.एम. पर उपतहसील डहरा के पास पहुँचे तो जरिये मुखबीर सूचना मिली की ग्राम बाला डहरा शमशान घाट के पास एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक 2.25 लीटर की एक प्लास्टिक की

बोतल में कच्ची हथकड शराब भरी है जिसे उक्स शक्स बेचने की फिराक में है इस पर मुताबिक ईत्तला के मन् एएसआई मय हमराही जाब्ता मय बुलेरो नं. 112 के मौके से रवाना होकर समय करीब 7.50 एएम पर ग्राम बाला डहरा शमशान घाट के पास पहुंचा जहां एक शक्स अपने दाहिने हाथ में एक प्लास्टिक की बोतल लेकर खडा हुआ नजर आया जिसको पकडना चाहा तो बावर्दी पुलिस को देख कर भागने कि कोशिश करने लगा जिसे हमराही मुलाजमानो की मदद से घेरा देकर पकडा व जिसके हाथ में प्लास्टिक की बोतल जो 2.25 लीटर की थी वह तरल पदार्थ से फुल भरी हुयी थी जिसका ढक्कन खोलकर सूंघा व चैक किया तो हथकड कच्ची शराब की बू आ रही थी। इस पर शक्श का नाम पता पूछा तो जितेन्द्र पुत्र श्री बचनसिहँ जाति रायसिख उम्र 26 साल निवासी तेहडपुर पुलिस थाना विजय मंदिर जिला अलवर का होना बताया। जिससे उक्त हथकड कच्ची शराब रखने व ले जाने बाबत लाईसेन्स मांगा तो नही होना बताया जो पेश है .....आदि । उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना विजय मंदिर, अलवर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 108/2026 अन्तर्गत धारा 16/54 राज. आबकारी अधिनियम में दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त के विरूद्ध धारा 16/54 राज. आबकारी अधिनियम का अपराध प्रमाणित माना है।

03. प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना में निम्न प्रकार पेश किया गया है।

Sr No.	FIR No.	Case No.	Section	Date	Status
1.	41/25 थाना विजय मंदर		16/54 आबकारी अधिनियम		आरोप पत्र संख्या 77/2025
2.	31/23 थाना विजय मंदर		16/54 आबकारी अधिनियम		आरोप पत्र संख्या 18/2023
3.	47/23 थाना विजय मंदर		16/54 आबकारी अधिनियम		आरोप पत्र संख्या 34/2023
4.	715/22 थाना विजय मंदर		16/54 आबकारी अधिनियम		आरोप पत्र संख्या 524/2022

04. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। उसका इस प्रकरण से कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो बरामदगी दिखाई गई है तो वह गलत तथ्यों के आधार पर दिखाई गई है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या ऐसा कोई आरोप भी नहीं है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान हो। प्रार्थी

अलवर का स्थायी निवासी है, जिसके फरार होने अथवा गवाहान को टैम्परविद करने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30-05-2026 से गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। हस्तगत प्रकरण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। प्रकरण के अन्वेषण/विचारण में समय लगने की संभावना है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः उसे जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना की गई।

05. विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया एवं आरोप की गम्भीरता देखते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

06. दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया गया व केस डायरी का अवलोकन किया गया। मुताबिक केस डायरी प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से 2.25 लीटर अवैध हथकड़ शराब बरामद किये जाने का आरोप है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 16/54 आबकारी अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया जाना दर्शाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में चार प्रकरण दर्ज होना बताये गये है, लेकिन दोषसिद्धि होना नहीं बताया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30-05-2026 को गिरफ्तार होकर अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

07. अतः ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रकरण के उक्त तथ्य-परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-: आदेश :-

08. अतः प्रार्थी/अभियुक्त जितेंद्र पुत्र श्री बचन सिंह निवासी तेहडपुर, थाना विजय मंदिर, जिला अलवर, राजस्थान की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 B.N.S.S. **स्वीकार** किया जाकर आदेश दिया जाता

है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद हर तारीख पेशी पर उपस्थिति बाबत 25-25 हजार रूपये की दो मौतबिर जमानतें तथा 50,000/- रूपये की राशि का स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित करवा दे तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाये ।

(सीता राम मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश सं.6,
अलवर

09. आदेश आज दिनांक 08-06-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीताराम मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश सं.6,
अलवर